नियम 30 : विरूपित, फटे या क्षतिग्रस्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

जब किसी अभिवचन के साथ प्रस्तुत किया गया दस्तावेज विरूपित, फटा हुआ या किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त प्रतीत होता है या अन्यथा उसकी स्थिति या स्वरूप पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, तो उसकी स्थिति और स्वरूप के संबंध में उल्लेख उसे प्रस्तुत करने वाले पक्षकार द्वारा ऐसी अभिवचन की अनुक्रमणिका में किया जाएगा और उसे प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा तथा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।